न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्टेशन नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/45/2020	2020/00156	02/09/2020	23-2-2021

1. रिलाईन्स होम फाईनेन्स लिमिटेड़, ऑफिस रिलाईन्स सेन्टर साउथ विंग, छठी मंजील वेस्टन एक्सप्रेस हाईवे, सान्ताक्रुज (ईस्ट) मुम्बई–400025, ब्रांच ऑफिस– रिलायन्स होम फाईनेन्स लि0 मनु उपसना टावर, 6th मंजील, संसार चन्द रोड़, जयपुर (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1. फेयरवेल्थ हाउसिंग प्रा0 लि0, पता– के.एच.नं0 651–652, उद्योग विहार, फेस–5, गुड़गांव, (हरियाणा)

   दुसरा पता– फेयरवेल्थ हाउसिंग प्रा0 लि0, पता– के.एच.नं0–604, 605, 606, 607 एवं 615, गांव धिरयावास, भिवाड़ी तहसील तिजारा, जिला अलवर, राज0–301019

2. नवीन गाबा, पता–फ्लैट नं0 सी170, प्लाट नं0 24/29, 17वीं मंजिल, पालम बीच, रेजिडेन्सि सैक्टर–4, नेरूल नवी मुम्बई महाराष्ट्र, नेरूल नोड़–3, एस.ओ.

   दुसरा पता:–फेयरवेल्थ हाउसिंग प्रा0 लि0, पता– के.एच.नं0–604, 605, 606, 607 एवं 615, गांव धिरयावास, भिवाड़ी तहसील तिजारा, जिला अलवर, राज0–301019

अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को कुल 31,00,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा दिनांक 10.08.2018 तथा 1,00,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा दिनांक 10.08.2018 को उपलब्ध कराई थी तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की **फेयरवेल्थ हाउसिंग प्रा0 लि0, के द्वारा एक आवासीय समूह आवासीय परियोजना "ब्रीज होम्स फेस–1" सेलेबल एरिया–373434 स्क्वायर फीट खसरा नं0 –604, 605, 606, 607 एवं 615, गांव ग्राम धिरयावास, भिवाड़ी तहसील तिजारा, जिला अलवर राजस्थान 301019 प्रोजेक्ट में 4 ब्लॉक्स (पी+एस+13/18) (फ्लोर स्ट्रक्चर कमप्राईजिंग 430 यूनिट) लेन्ड अन्डर फेस–2 ऑफ प्रोजेक्ट, ब्रीज होम भी आर.एच..एफ.एल. के चार्ज में आता है,** सम्पत्ति को बंधक रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

जिला कलक्टर, अलवर

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नही की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त **फेयरवेल्थ हाउसिंग प्रा0 लि0, के द्वारा एक आवासीय समूह आवासीय परियोजना "ब्रीज होम्स फेस–1" सेलेबल एरिया–373434 स्क्वायर फीट खसरा नं0 –604, 605, 606, 607 एवं 615, गांव ग्राम धिरयावास, भिवाड़ी तहसील तिजारा, जिला अलवर राजस्थान 301019 प्रोजेक्ट में 4 ब्लॉक्स (पी+एस+13/18) (फ्लोर स्ट्रक्चर कमप्राईजिंग 430 यूनिट) लेन्ड अन्डर फेस–2 ऑफ प्रोजेक्ट, ब्रीज होम भी आर.एच.एफ.एल. के चार्ज में आता है,** को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिये जाते हैः–

5. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
6. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रकिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानो की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी, जिला अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23-2-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर